शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान

13-14, झालाना डूँगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81

E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com

सोशल मीडिया से जुड़े
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

जसवन्त सम्पतराम IPS (Retd.)	बनवारी लाल बैरवा	दयानन्द सक्करवाल	जी.एल. वर्मा
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महासचिव
मो. 9414308305	मो. 9001195384	मो. 9634418411	मो. 9829688869

क्रमांक: DrAMWS/2025/GS/2245 दिनांक : 30.11.2025

कार्यालय आदेश

डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान जयपुर के केंद्रीय कार्यसमिति पदाधिकारीयों के आगामी चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्ण और सोसायटी विधान अनुसार करवाने हेतु श्री जेपी विमल, आईएएस (सेनि) को सोसायटी पत्र क्रमांक DrAMWS/2025/GS/2176 दिनांक 23.09.2025 द्वारा सोसायटी विधान अनुच्छेद (10) चुनाव (घ) की अनुपालना में चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था।

श्री जेपी विमल ने चुनाव अधिकारी का कार्यभार दिनांक 27.09.2025 को ग्रहण किया, जिसकी सूचना चुनाव अधिकारी से सोसायटी महासचिव को प्राप्त हुई।

चुनाव अधिकारी ने पत्र दिनांक 01.10.2025 द्वारा महासचिव से दिनांक 30.10.2025 तक मतदाता सूची उपलब्ध करवाने हेतु लिखा।

चुनाव अधिकारी ने पत्र दिनांक 06.10.2025 द्वारा महासचिव से विगत केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव 2022 तक मतदाता सूची तमाम तरह के संशोधन सहित जैसे: नाम जोड़ने एवं अन्य आपत्तियों जो सोसायटी में प्रस्तुत हुई है उनका निस्तारण करते हुए दिनांक 30.10.2025 तक प्रस्तुत किए जाने के आदेश जारी किए।

चुनाव अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 07.10.2025 द्वारा महासचिव को लिखा गया कि केंद्रीय चुनाव वर्ष 2022 के लिए मतदाता सूची में सभी संशोधन किए जाकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था, जिसके उपरांत चुनाव संपन्न करवाए गए। उक्त मतदाता सूची **अधिकृत** होने के कारण उसकी एक प्रति चुनाव समिति को उपलब्ध करावे।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मतदाता सूची संधारण एवं संशोधन के समस्त अधिकार सोसायटी प्रशासन (अध्यक्ष एवं महासचिव) को है, न कि चुनाव अधिकारी को । चुनाव अधिकारी ने पत्र दिनांक 07.10.2025 द्वारा केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव 2022 में प्रयोग में ली गई मतदाता सूची को अद्यतन करने हेतु सोसायटी महासचिव को लिखा, परंतु बिना किसी विशेष कारण बताए ही पत्र दिनांक 07.10.2025 द्वारा केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव वर्ष 2022 में प्रयोग में ली गई मतदाता सूची को **अधिकृत** घोषित कर दिया, जो कि चुनाव अधिकारी के श्रेत्राधिकार से बाहर होने के कारण एवं सोसायटी विधान अनुसार नहीं होने के कारण अवैधानिक कार्य है।

सोसायटी विधान अनुच्छेद (10) चुनाव (ड़) के अनुसार प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा तथा पूर्ण सदस्यता शुल्क जमा कराने पर ही मत देने के लिए अधिकृत होगा। सोसायटी महासचिव द्वारा चुनाव अधिकारी को पत्र दिनांक 31.10.2025 द्वारा सूचित किया गया कि :-

"उपरोक्त विषय में लेख है कि केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव वर्ष 2022 में उपयोग में ली गई मतदाता सूची में 11630 ऐसे सदस्य थे जिनकी अजमेर जिले के वर्ष 2022 में जोड़ें गये सदस्यों की

GLV

शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान
13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81
E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com
सोशल मीडिया से जुड़े
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

जसवन्त सम्पतराम IPS (Retd.)	बनवारी लाल बैरवा	दयानन्द सक्करवाल	जी.एल. वर्मा
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महासचिव
मो. 9414308305	मो. 9001195384	मो. 9634418411	मो. 9829688869

सदस्यता राशि अजमेर जिले के बैंक खाते में नहीं पाई गई, इस कारण महासचिव जी एल वर्मा द्वारा थाना गांधीनगर, जयपुर में तत्कालीन अजमेर जिला अध्यक्ष श्री देशराज मेहरा एवं अन्य के विरुद्ध एफआईआर संख्या 0388 दिनांक 12.08.2023 को दर्ज़ करवाई गई थी"।

"जांच के दौरान तत्कालीन अजमेर जिला अध्यक्ष श्री देशराज मेहरा द्वारा यह सूचित किया गया कि उसने उपरोक्त 11630 सदस्य जो अजमेर में जोड़ें गये थे, उनसे किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त नहीं की है। श्री देशराज मेहरा ने इन 11630 सदस्यों से संबंधित सभी खाली रसीद बुकों को पुलिस में जमा करवा दिया है"।

"अतः यह सभी 11630 पूर्व सदस्य आगामी चुनाव वर्ष 2025 में मतदान करने हेतु अपात्र एवं अयोग्य हो गये है, अतः सक्षम स्तर द्वारा निर्णय करके उपरोक्त सभी 11630 सदस्यों को मतदाता सूची से हटा दिया गया है"।

"अतः अजमेर जिले की उपरोक्त 11630 सदस्यों को मतदाता सूची में से हटाने के पश्चात शेष रहे 3262 मतदाताओं की अजमेर जिले की सूची एवं ब्यावर ज़िले के 933 सदस्यों की अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित मतदाता सूचियां इस पत्र के साथ संलग्न है। अतः इस पत्र के साथ संलग्न मतदाताओं की सूचियां को ही अजमेर एवं ब्यावर जिले की अधिकृत मतदाता सूची माना जाए"।

इस संदर्भ में सोसायटी प्रशासन द्वारा विस्तृत आदेश दिनांक 03.11.2025 को जारी किए गए जिसकी सूचना विभिन्न समाचार माध्यमों से अजमेर जिले सहित राजस्थान के सभी सोसायटी सदस्यों को सार्वजनिक की गई, परंतु उपरोक्त 11630 सदस्यों सहित किसी भी व्यक्ति ने आज तक भी इस आदेश पर आपत्ति दर्ज़ नहीं करवाई है।

महासचिव द्वारा पत्र दिनांक 08.11.2025 को चुनाव अधिकारी को पूरे राजस्थान के 59199 सदस्यों की सदस्यता सूची प्रदान की गई थी, जिसमें उपरोक्त तत्कालीन अजमेर जिले के 11630 सदस्य शामिल नहीं थे। उपरोक्त सूचि को सोसायटी वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया और आज तक भी इस सदस्यता सूची पर किसी प्रकार की आपत्तियां सोसायटी प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है।

मतदाता सूची से संबंधित सभी अधिकृत सूचनाएं केवल सोसायटी प्रशासन के पास ही उपलब्ध रहती है, जिसका कार्यालय सोसायटी के गठन से चला आ रहा है और चुनाव अधिकारी को केवल एक चुनाव करवाने हेतु कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है, अतः चुनाव अधिकारी के पास मतदाता सूची से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध नहीं रहती है, परन्तु चुनाव अधिकारी द्वारा दिनांक 17.11.2025 को प्रकाशित मतदाता सूची में उपरोक्त 11630 सदस्यों को चुनाव अधिकारी के मोहर वाले हस्ताक्षर से

शामिल कर लिया गया, जिसके लिए चुनाव अधिकारी सोसायटी विधान अनुसार सक्षम नहीं है और चुनाव अधिकारी का यह कार्य सोसायटी विधान अनुसार नहीं है।

उपरोक्त 11630 सदस्यों से संबंधित सभी सूचनाएं चुनाव अधिकारी को उपलब्ध करवाने के बाद भी इन सदस्यों को मतदाता सूची में शामिल किया जाना अवैधानिक है और सोसायटी विधान अनुसार नहीं है, क्योंकि मतदाता सूची के संधारण एवं संशोधन के सभी अधिकार सोसायटी प्रशासन को है।

चुनाव अधिकारी द्वारा जारी की गई मतदाता सूची विधान अनुसार नहीं होने के कारण आगामी चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्ण और सोसायटी विधान अनुसार होना संभव नहीं है ।

चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव अधिसूचना को पूरे राजस्थान में किसी समाचारपत्र में प्रकाशित नहीं करवाया गया है, अतः अनेक मतदाता एवं संभावित सोसायटी सदस्य आगामी चुनाव में भाग लेने से वंचित हो गए हैं, अतः चुनाव अधिकारी का यह कार्य पारदर्शिता पूर्ण नहीं है।

चुनाव अधिकारी द्वारा वेबसाईट पर राजस्थान के सभी सोसायटी मतदाताओं की सूची अपलोड की गई है, जिसमें सोसायटी की महिला सदस्यों के साथ ही हजारों सदस्यों की व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारियां भी प्रसारित की जा रही है, जिन्हें डाउनलोड करके विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया में शेयर किया गया है। ऐसी सूचनाओं का मार्केटिंग, साईबर क्राईम या अन्य अपराध में अगर दुर्पयोग होता है तो डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान जयपुर जिम्मेदार नहीं होगी। चुनाव अधिकारी द्वारा सोसायटी मतदाताओं की व्यक्तिगत संवेदनशील सूचनाओं का इस प्रकार से प्रकाशित करना चुनाव अधिकारी के अधिकार श्रेत्र में नहीं होने के कारण अवैधानिक है और सोसायटी विधान अनुसार नहीं है ।

चुनाव अधिकारी द्वारा कुछ ऐसी मतदाता सूचियों को जारी किया गया है जिनपर सोसायटी अध्यक्ष एवं महासचिव के हस्ताक्षर नहीं है, जो कि अनिवार्य है। चुनाव अधिकारी द्वारा जारी कुछ मतदाता सूचियों पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं, जिनके लिए वो अधिकृत नहीं है। चुनाव अधिकारी का यह कार्य विधान अनुसार नहीं है।

उपरोक्त अनियमितताएं एवं अवैधानिक कार्य चुनाव अधिकारी के संज्ञान में लाए जाने के पश्चात् भी उनमें सुधार नहीं करना यह साबित करता है कि चुनाव अधिकारी द्वारा आगामी चुनाव निष्पक्ष एवं सोसायटी विधान अनुसार करवाने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

चुनाव अधिकारी द्वारा सोसायटी प्रशासन के साथ आगामी चुनाव के बारे में समुचित चर्चा नहीं की जा रही है और बार बार अनुरोध के बाद भी सोसायटी प्रशासन को विभिन्न मुद्दों पर कोई सूचना/ टिप्पणी/ जवाब प्रदान नहीं की जा रही है। यहां तक कि सोसायटी प्रशासन के चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण पत्र स्वीकार करने से भी मना किया जाता रहा है।

शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान

13-14, झालाना डूँगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81
E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com

सोशल मीडिया से जुड़े
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

जसवन्त सम्पतराम IPS (Retd.)	बनवारी लाल बैरवा	दयानन्द सक्करवाल	जी.एल. वर्मा
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महासचिव
मो. 9414308305	मो. 9001195384	मो. 9634418411	मो. 9829688869

श्री जेपी विमल, चुनाव अधिकारी द्वारा सोसायटी विधान के विरुद्ध मनमाने (arbitrary) रूप से कार्य करने के कारण उनके द्वारा आगामी चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्ण और सोसायटी विधान अनुसार नहीं करवाए जा रहे हैं, अतः डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर केंद्रीय कार्यसमिति बैठक दिनांक 30.11.2025 में गहन विचार विमर्श पश्चात् पारित प्रस्ताव एवं निर्णय की अनुपालना में श्री जेपी विमल को चुनाव अधिकारी के पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है एवं चुनाव अधिकारी के पद से विमुक्त किया जाता है। उपरोक्त केंद्रीय कार्यसमिति बैठक दिनांक 30.11.2025 में पारित प्रस्ताव की पालना में श्री जेपी विमल द्वारा गठित चुनाव समिति को भी तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है और चुनाव समिति के सभी पदाधिकारीयों को भी तत्काल प्रभाव से कार्य विमुक्त किया जाता है। श्री जेपी विमल को निर्देशित किया जाता है कि चुनाव से संबंधित सभी सूचनाएं, संसाधन, धनराशि एवं डाक्यूमेंट्स सोसायटी महासचिव श्री गणपत लाल वर्मा को तत्काल संभलवाए।

जसवन्त सम्पतराम, आईपीएस (सेनि)
अध्यक्ष
9414308305

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. रजिस्ट्रार संस्थाएं, टोंक रोड, जयपुर ।
2. श्री जेपी विमल, आइएएस (सेनि), ए 267, त्रिवेणी नगर, जयपुर।
3. श्री बीएल वर्मा, श्री टेक चंद राहुल, श्री राम अवतार गोठवाल, श्री आर के रैगर, श्री वेद प्रकाश एवं श्री गोपी राम।
4. समस्त सोसायटी पदाधिकारी एवं सदस्य (सोशल मीडिया, वेबसाइट एवं सूचना पट्ट द्वारा)।
5. प्रेस एवं मीडिया।

महासचिव